न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1880/2017

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. आनन्दसिंह पुत्र धनसिंह 2. किशनकंवर पत्नी आनन्दसिंह जातियान– राजपूत, निवासीगण–निम्बोल, तहसील–जैतारण।		1. बुधसिंह पुत्र धनसिंहजी 2. संतोषकंवर पत्नी बुधसिंह जातियान– राजपूत, निवासीगण–निम्बोल, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. 3. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 14/11/2017

उपस्थितः–

1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 05/02/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा निम्बोल, पटवार हल्का–निम्बोल, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 614/1 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 614/9 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 614 रकबा 24–12 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 614/3 रकबा 21–04 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 04 कुल रकबा 65–16 बीघा की स्थित हैं। उक्त भूमि की जमाबंदी संवत 2069 से 2072 व नक्शा ट्रेस की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सायलान व गैरसायलान सभी माफिक अपने–अपने हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज हैं। परन्तु बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग हिस्से दर्ज नहीं किये गये है। इसलिए अब वादीगण को अपने भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए किसान विकास पत्र की आवश्यकता होने से सायलान संख्या 01 बुधसिंह ने पटवार हल्का निम्बोल से किसान केडिट कार्ड बनाने का निवेदन किया तो पटवार हल्का निम्बोल ने सायल से कहां कि पहले अपने अपने हिस्से को राजस्व रेकर्ड में अलग अलग दर्ज करवाओं तब ही आपका कार्ड बन सकता है। तब सायलान ने प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को उक्त भूमि का बंटवाड़ा बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के कराने का कहां तो गैरसायलान ने उक्त बंटवाड़ा कराने से इन्कार कर दिया। इससे पूर्व गैरसायलान संख्या 01 ने सायल संख्या 01 को खसरा नंबर 614 रकबा 25–12 बीघा में से अपनी राजीखुशी से एक बक्सीसनामा दिनांक 08.06.2012 को रकबा 13 बिस्वा का रास्ता जरिये बक्सीसनामा के रास्ते के रूप में 12 फुट चोड़ा व 435 फुट लम्बा खसरा नंबर 614/3 का इन्द्राज करवाया हैं एवं

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग करने का कथन किया हैं। परन्तु दिनांक 15.03.2013 को भूमि का बंटवाड़ा कराने व रास्ता नहीं देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया है। नकल बक्सीसनामा की फोटो प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ पेश हैं। तब सायलान अपनी एक हिस्से की आराजी का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। गैरसायल संख्या 01 बुधसिंह ने लगभग 12 फुट चोड़ा व 435 फुट लम्बा जो रास्ता जरिये बक्सीसनामा के छोड़ा गया है जो कुल छः बिस्वा भूमि होती हैं। जिसमें से तीन बिस्वा भूमि बक्सीसनामा गैरसायल संख्या 01 बुधसिंह ने अपनी शेष रही है। जो खसरा नंबर 614 में से छोड़ेगे। एवं तीन बिस्वा भूमि बक्सीसनामा ग्रहिता श्री आनन्दसिंह सायल संख्या 01 को अपनी बक्सीस में प्राप्त भूमि में से छोड़ेंगे। इस प्रकार से गैरसायल संख्या 01 ने रास्ते की भूमि को सायल संख्या 01 के हक में बक्सीस उपरोक्त वर्णित अनुसार कर दी है। परन्तु दिनांक 15.03.2013 को सायल अपने उक्त भूमि का बंटवाड़ा व रास्ते का बंटवाड़ा का निवेदन किया। तो गैरसायलान ने ऐसा बंटवाड़ा कराने से इन्कार कर दिया व सायलान की भूमि से सायलान को बेदखल करने की एलानिया धमकिया दे रहे है। यदि गैरसायलान सायलान के हक हिस्से की आराजी में जबरदस्ती हस्तक्षेप व बाधा पैदा करते हैं तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। एवं सायलान गैरसायलान को ऐसे अवैधानिक कृत्य नहीं करने देंगे। जिससे मौके पर विवाद होगा। व सायलान को अपनी भूमि से वंचित होना पड़ेगा। तब ऐसी समस्त परिस्थितियों में सायलान के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। गैरसायलान खसरा नंबर 614 रकबा 24-12 बीघा किस्म बारानी दोयम में अवैध व गैर कानूनी रूप से सहखातेदार होते हुए भी सायलान सहमति के बिना कृषि भूमि में गढे खोद कर चायना कले निकालने एवं अवैध रूप से उसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि विधि विरूद्ध हैं। उक्त जमीन शामलाती कृषि आराजी हैं। जिसका दावा पूर्व में पेश किया जा चुका हैं। उसमें अभी तक बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। तथा न ही उक्त भूमि तरमीम हुई हैं। इसलिए गैरसायलान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। गैरसायलान द्वारा ऐसा करने पर सायलान ने मना किया तो वह नहीं माने। तब सायलान को न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा और कोई दुसरा विकल्प नहीं रहा है। इस लिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान के पेश हैं। व अगर गैरसायलान द्वारा उक्त अवैध खनन करने से नहीं रोका गया तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकता हैं। तथा सायलान के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन भी पक्ष में हैं। व सायलान उक्त भूमि सहखातेदारान होने से उनका प्रथमदृष्टिया मामला भी बहुत मजबूत हैं। इसलिए उक्त गैरसायलान को अवैध खनन करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा-हमेशा के वास्ते रोका जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी को जवाब प्रार्थना-पत्र पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना-पत्र बंद किया गया एवं वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी की ओर से NO INSTRUCTION PLEAD किया है। अप्रार्थी

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

को बार–बार आवाजे दिलाई गई, बावजूद सूचना/इत्तला के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया ग्राम–निम्बोल, तहसील– जैतारण की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त अविभाजित आराजी है तथा जिसके विभाजन हेतु वादीगण द्वारा वाद दायर किया गया है। प्रार्थी/वादी उक्त अविभाजित आराजी के संबंध में अपने पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं। अविभाजित आराजी के संबंध में प्रत्येक सह–खातेदार का अविभाजित आराजी के प्रत्येक हिस्से का समान रूप से हक एवं कब्जा माना जाता है अतः ऐसी दशा में किसी सह–खातेदार के पक्ष में तथा अन्य सह–खातेदार के विपक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधिसंगत नहीं माना जा सकता। प्रार्थी द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से से अधिक किस रूप में अविभाजित आराजी को क्षति कारित करने की प्रबल आशंका है। अतः प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है, इसी प्रकार चुंकि संयुक्त अविभाजित आराजी के संबंध में यह सामान्य अवधारणा है कि ऐसी आराजी के प्रत्येक हिस्से पर सभी सहखातेदारान का एक समान कब्जा माना जाता है अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन ऐसे प्रत्येक सह–खातेदार के पक्ष में निहित है न की केवल वादी/प्रार्थी के पक्ष में। अतः सुविधा का संतुलन भी केवल वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है तथा ऐसी अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि के अभिलिखित सह–खातेदार अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण को हो सकती है क्योंकि इससे उनके खातेदार के प्राथमिक अधिकारों के उपभोग से वंचित होना पड़ सकता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा–212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सि.प्र.स. बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 17:23:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: